भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 311*

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि लागत पर प्रतिलाभ

***311 श्रीमती साजदा अहमद:**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि लागत पर प्रतिलाभ के संबंध में अपनाई गई नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संकटग्रस्त किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएससपी) में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषि लागत पर प्रतिलाभ' के संबंध में दिनांक 10.08.2021 को उत्तर के लिए देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारत भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की हैं। उत्पादन लागत के अतिरिक्त, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी की सिफारिश करते समय, विभिन्न अन्य कारकों पर भी विचार करता है जिसमें घरेलू और विश्व बाजारों में विभिन्न फसलों की मांग-आपूर्ति की स्थितियां, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, अन्यों के साथ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें शामिल हैं।

(ख) और (ग) उत्पादन लागत पर वृद्धित प्रतिशत प्रतिफल का किसानों की आय में वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव होना तय है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसानों की आय में सुधार के लिए योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों के लाभ हेतु कई कदम उठाए गए हैं एवं विवरण **अनुबंध** में दिए गये हैं।

अनुबंध

दिनांक 10.08.2021 को उत्तर के लिए देय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

किसानों की आय में सुधार के लिए योजनाएं और हस्तक्षेप:

(1) देश भर के सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: **'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)'** शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 3 समान किश्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष का भुगतान प्रदान करना है। कुल रु. 11.05 करोड़ किसान परिवारों को अब तक 1.39 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(2) छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने की दृष्टि से, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं है और परिणामस्वरूप आजीविका के नुकसान की स्थिति में, उनकी सहायता करने हेतु सरकार इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)** का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों के लिए, कुछ अपवर्जन नियमों के अधीन, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000/-रु. की निर्धारित पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब तक कुल 21,39,756 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

(3) पर्याप्त ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार **कृषि क्षेत्र में ऋण** के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 13.50 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए 15.00 लाख करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है और इसके लिए क्रमशः 13.92 लाख करोड़ रुपये और 15.58 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 16.50 लाख करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है।

(4) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): किसानों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अधिक लाभ एवं कीमतों की बेहतर वसूली के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय बजट 2019-20 में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन की घोषणा की गई थी। बजट घोषणा के अनुसरण में, डीए एंड एफडब्ल्यू ने 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए "किसान उपज संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है जिसमें पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के लिए 4,496 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है एवं प्रत्येक एफपीओ को उसके एकत्रीकरण और गठन से पांच साल के लिए हैंडहोल्डिंग हेतु 2024-25 से 2027-28 की अवधि के दौरान 2,369 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता का भी प्रावधान है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि द्वारा प्रवर्तित देश में लगभग 6000 एफपीओ पहले से मौजूद हैं। नई योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को 2365 एफपीओ उत्पाद क्लस्टर आवंटित किए गए हैं।

(5) जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने की दृष्टि से, एक फसल बीमा योजना नामत: **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** को खरीफ 2016 मौसम से शुरू किया गया था। यह योजना किसानों द्वारा कम प्रीमियम योगदान पर फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें निर्दिष्ट मामलों में फसल के बाद के जोखिम शामिल हैं। खरीफ 2020 के लिए, 2.83 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 4.21 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है और 62.3 लाख किसानों को 5434 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान किया गया है।

(6) इसके अलावा, **ब्याज छूट योजना 2018-19** के तहत, प्राकृतिक आपदाओं की घटना होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्रचित राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2% का ब्याज छूट मिलती रहेगी। किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपनी उपज को स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ब्याज छूट का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए उसी दर पर जो फसल ऋण के लिए उपलब्ध है, उपलब्ध होगा।

(7) अधिक से अधिक किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाना सरकार का प्राथमिकता क्षेत्र है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 2% की ब्याज सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में, किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है।

(8) सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद के लिए **'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा)** की एक समग्र योजना शुरू की है, जिस पर एमएसपी की घोषणा की गई है।

(9) सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों का कार्य करने वाले किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** की सुविधा प्रदान की है। 3.00 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण, खाता बही शुल्क और अन्य सभी सेवा शुल्क माफ कर दिए गए हैं। अल्पावधि कृषि ऋण के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 1.00 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तक कर दी है।

(10) फार्म-गेट और एकत्रीकरण स्थानों पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(11) ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) की शुरुआत: किसानों को बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकार प्रतिस्पर्धी बाजार बोली के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य के लिए पारदर्शी मूल्य खोज हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार' (ई-एनएएम) का कार्यान्वयन कर रही है। अब तक, 18 राज्यों तथा 03 केंद्र शासित प्रदशों के 1000 थोक विनियमित बाजारों को ई-एनएएम प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इस योजना के अधीन, तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराने के अलावा, इलेक्ट्रानिक भारोत्तोलक स्केल, कंप्यूटर आईटी उपकरणों, जांच उपकरणों, सफाई/छटाई/ग्रेडिंग उपकरणों और जैव-कंपोस्ड ईकाई को लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति मंडी 75 लाख रूपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

****